



हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

Board of School Education Haryana, Bhiwani

(Established Under Haryana Board of Education Act, 1969)
(ISO 9001 : 2015 - Certified Organization)



प्रेषक:

सचिव,
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड,
भिवानी ।

प्रेषित:

सभी सम्बन्धित प्राचार्य/प्रधानाचार्य/गुरुकुल आचार्य,
राजकीय/अराजकीय विद्यालय/गुरुकुल/विद्यापीठ,
हरियाणा।

क्रमांक : 6910/एनरोलमेंट/ए-3

दिनांक : 17.10.2022

विषय: शैक्षिक सत्र 2022-23के लिए कक्षा नौवीं से बारहवीं के एनरोलमेंट रिटर्न हेतु ऑनलाईन आवेदनबारे निदेश।

महोदय/महोदया,

हरियाणा राज्य के सभी राजकीय/अराजकीय स्थाई मान्यता प्राप्त एवं बोर्ड से स्थाई सम्बद्धता प्राप्त विद्यालयों एवं गुरुकुलों की कक्षा नौवीं से बारहवीं के विद्यार्थियों की शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए एनरोलमेंट रिटर्न एक बार में (एकमुश्त) ऑन-लाईन दर्ज की जानी हैं। एनरोलमेंट हेतु हरियाणा राज्य के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित शुल्क 150/-रु0 प्रति विद्यार्थी एवं अन्य राज्यों/बोर्डों से आए विद्यार्थियों के लिए 200/-रु0 प्रति विद्यार्थी है।

विद्यालयों द्वारा नौवीं एवं ग्यारहवीं कक्षा का प्रश्न-पत्र शुल्क 50/-रु0 प्रति विद्यार्थी जमा करवाना होगा। ग्यारहवीं कक्षा के जिन विद्यार्थियों का एनरोलमेंट पूर्व में हो चुका है, उन विद्यार्थियों का विद्यालयों द्वारा रजिस्ट्रेशन भी करवाना अनिवार्य है, जिसके लिए 100/-रु0 प्रति विद्यार्थी शुल्क भी ऑनलाईन माध्यम से जमा करवाना होगा। एनरोलमेंट आवेदन की अंतिम तिथि के बाद प्रश्न-पत्र शुल्क 500/-रु0 अथवा सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार प्रति विद्यालय जुर्माना सहित भरना होगा अन्यथा प्रश्न-पत्र प्राप्त न होने की अवस्था में विद्यालय स्वयं जिम्मेवार होगा।

कक्षा नौवीं से बारहवीं के लिए एनरोलमेंट शुल्क एवं कक्षा नौवीं एवं ग्यारहवीं के लिए प्रश्न-पत्र शुल्क ICICI बैंक द्वारा गेटवे पेमेंट के माध्यम से भेजा जाना है।

नौवीं से बारहवीं के एनरोलमेंट रिटर्न आवेदन करने की तिथियाँ :-

	बिना विलम्ब शुल्क	200/- रु0 विलम्ब शुल्क सहित	300/- रु0 विलम्ब शुल्क सहित	1000/-रु0 विलम्ब शुल्क सहित	शुद्धि के लिए तिथियाँ
9वीं से 12वीं	18.10.2022 से 01.11.2022	02.11.2022 से 08.11.2022	09.11.2022 से 15.11.2022	16.11.2022 से 22.11.2022	23.11.2022 से 29.11.2022



हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

Board of School Education Haryana, Bhiwani

(Established Under Haryana Board of Education Act, 1969)
(ISO 9001 : 2015 - Certified Organization)



हरियाणा राज्य के सभी विद्यालयों/गुरुकुलों को निर्देश जारी किये जाते हैं कि एनरोलमेंट रिटर्न हेतु आवेदन करने के लिए नीचे दर्शाई गई सभी शर्तों की पालना करना सुनिश्चित करें :-

1. सभी सम्बन्धित संस्थाएं, गुरुकुल अपने विद्यार्थियों के "एनरोलमेंट रिटर्न" के आवेदन पत्र उपरोक्त तिथियों में निर्धारित शुल्क सहित एक बार ही (एकमुश्त) ऑन-लाइन करना सुनिश्चित करें। एनरोलमेंट हेतु विद्यालय का पासवर्ड जो पहले ही निर्धारित है।
2. कक्षा 9वीं से 12वीं के उन्हीं विद्यार्थियों के एनरोलमेंट आवेदन किए जाने हैं, जिन्हें शैक्षिकसत्र 2022-23 के लिए प्रवेश दिया गया है।
3. विद्यार्थियों की नवीनतम फोटो "विद्यालय वर्दी" में तिथि सहित होनी चाहिए।
4. जिन विद्यार्थियों का पहले ही एनरोलमेंट हो चुका है और ऐसे विद्यार्थियों द्वारा परीक्षामें अनुत्तीर्ण होने पर दोबारा उसी कक्षा में दाखिला लिया गया है उनके एनरोलमेंट आवेदन फार्म दोबारा भेजने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे विद्यार्थियों द्वारा केवल रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य है जिसके लिए 100/-₹0 प्रति विद्यार्थी शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा करवाना होगा।
5. हरियाणा ओपन स्कूल/राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से दसवीं पास परीक्षार्थियों का कक्षा 11वीं में फ्रेश एनरोलमेंट करवाया जाना है। CTP (Haryana Open School) से पास परीक्षार्थी इसमें शामिल नहीं होंगे। CTP (Haryana Open School) से पास विद्यार्थियों द्वारा केवल रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य है जिसके लिए 100/-₹0 प्रति विद्यार्थी शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा करवाना होगा।
6. कक्षा 9वीं व 10वीं में अन्य बोर्ड/राज्य से आने वाले छात्रों की Countersigned SLC/TC एवं कक्षा 11वीं में 10वीं के पास प्रमाण पत्र, माइग्रेशन व 12वीं में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के 10वीं का पास प्रमाण पत्र/11वीं की SLC एनरोलमेंट आवेदन फार्म भरते समय विद्यालयों द्वारा एनरोलमेंट Online Portal पर Upload करना अनिवार्य होगा।
7. SLC/TC/ 10वीं उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र अपलोड नहीं किये जाने पर एनरोलमेंट आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे जिसके लिए विद्यालय स्वयं जिम्मेवार होगा।
8. विद्यार्थियों के विवरण अपलोड करने उपरांत उनमें केवल 02 त्रुटियों (जन्मतिथि को छोड़कर) को ऑनलाइन निर्धारित अवधि में ठीक किया जा सकता है। इसके उपरांत किसी भी प्रकार की त्रुटि का विद्यालय द्वारा समाधान नहीं किया जाता है तो ऐसी त्रुटि में संशोधन के लिए बार्ड कार्यालय में मूल रिकार्ड Withdrawal Register, Attendance Register, S.L.C./ Previous year Result and Admission Form व एनरोलमेंट सूची के साथ-साथ इन सभी दस्तावेजों की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करके ऑफ-लाइन संशोधन करवाना होगा और प्रति त्रुटि निर्धारित शुल्क 300/-₹0 अदा करना होगा।
9. बोर्ड की वैबसाइट के एनरोलमेंट लिंक के अंत में निम्न अनुसार प्रमाण-पत्र दिया जाना अनिवार्य है। इसलिए सभी संबंधित विद्यालय विवरण को ध्यानपूर्वक पढ़ लें, यदि बाद में किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त होती है या मामला संज्ञान में आता है तो उसके लिए संबंधित विद्यालय जिम्मेवार होगा :-



हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

Board of School Education Haryana, Bhiwani

(Established Under Haryana Board of Education Act, 1969)
(ISO 9001 : 2015 - Certified Organization)



CERTIFICATES:-

- (i) The Spelling of the Name, Father's Name, Mother's Name, Date of birth and other particulars mentioned in the return are in accordance with the relevant admission and withdrawal Register/Original Certificates. The admission of all students have been made in time and admitted upto age limit as per Education Policy 2003.
 - (ii) The School/Gurkul Vidhyapeeth has been granted recognition for this particular session by the Education Department of Haryana and affiliated to the Board.
 - (iii) All the students mentioned in the enrolment return except those admitted on migration from other State have been studying in this institution right from the beginning of the academic session and those admitted on migration have been admitted according to the Board's rules.
 - (iv) The names of all the candidates who have been admitted up to the last date, are being sent in the enrolment return and no candidate has been left out.
 - (v) We have gone through the Rules/Regulation relating to enrolment carefully and the return is being sent according to these Rules/Regulations. If any mistake is found at the later stage the School shall be responsible.
 - (vi) It is certified that the S.L.C./T.C. of other States have been verified by our school from countersigned officer and found correct. If at any stage, any S.L.C./T.C. found Bogus, the institution will be responsible and penalised accordingly.
 - (vii) Certified that the school/institute will be responsible for admitting students from fake Boards/Boards not having equivalency with Board of School Education Haryana, Bhiwani as per list available on Board website.
10. यदि किसी भी स्तर पर पाया गया कि संस्था/गुरुकुल द्वारा किसी छात्र को एनरोलमेंट के नियम/विनियमों के विपरीत गलत तरीके से प्रवेश दिया गया तो उस छात्र की पात्रता रद्द कर दी जाएगी तथा छात्र सरकारी संस्था का होने पर मुखिया के खिलाफ कार्रवाही करने हेतु केस शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा और यदि छात्र अराजकीय मान्यता प्राप्त संस्था का है तो पहली गलती पाए जाने पर एनरोलमेंट विनियम 21(2) के अंतर्गत एक लाख रु0 (100000/-रु0) आर्थिक दण्ड तथा दूसरी गलती पाए जाने पर तीन लाख रु0 (300000/-रु0) का आर्थिक दण्ड व तीसरी गलती पाए जाने पर विद्यालय की सम्बद्धता रद्द कर दी जायेगी।
11. जिन संस्थाओं/गुरुकुल द्वारा बोर्ड कार्यालय के विनियमों की उल्लंघना करके छात्रों को गलत तरीके से प्रवेश दिये गये हैं और बोर्ड कार्यालय द्वारा उनके एनरोलमेंट क्रमांक रद्द करने तथा अनुक्रमांक जारी न करने की स्थिति में छात्रों द्वारा किसी भी कोर्ट में केस दायर करने पर बोर्ड कार्यालय को पार्टी बनाया जाता है तो विद्यालय से उनकी लापरवाही के लिए आने वाले कोर्ट केस का



हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

Board of School Education Haryana, Bhiwani

(Established Under Haryana Board of Education Act, 1969)
(ISO 9001 : 2015 - Certified Organization)



- खर्च एनरोलमेंट विनियम संख्या 21 (1) के अंतर्गत वसूला जाएगा तथा विद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
12. एनरोलमेंट के संबंध में पूछताछ हेतु बोर्ड कार्यालय में किसी भी अवस्था में छात्र/अभिभावक को न भेजा जाए।
13. शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों की एनरोलमेंट रिटर्न में परीक्षार्थी का आधार नम्बर भी लिखा जाना आवश्यक है। छात्र के पिता का आधार नम्बर भी भरें। यदि किसी कारणवश पिता का आधार नम्बर नहीं है तो माता का आधार नम्बर भरें। 15 वर्ष की आयु पर संशोधित आधार कार्ड के अन्तिम चार अंक ही भरे जाने हैं।
14. विद्यालयों द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि उनके विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के एनरोलमेंट के सभी आवेदन पत्र बोर्ड कार्यालय में एक बार (एकमुश्त) ही ऑन-लाईन भेजे। इसके पश्चात आवेदन करने के लिए अनुमति नहीं होगी। निर्धारित तिथि के बाद किसी भी छात्र का आवेदन-पत्र ऑफ-लाईन स्वीकार नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त दाखिला खारिज रजिस्टर (Admission Withdrawl Register) में अंतिम विद्यार्थी के प्रवेश पृष्ठ की सत्यापित छायाप्रति भी अपलोड करवाई जानी अनिवार्य है।
15. विद्यालय द्वारा नौवीं एवं ग्यारहवीं का प्रश्न-पत्र शुल्क 50/-रु0 प्रति विद्यार्थी ऑनलाईन माध्यम से जमा करवाना होगा। एनरोलमेंट आवेदन की अन्तिम तिथि के बाद प्रश्न-पत्र शुल्क 500/-प्रति विद्यालय अथवा सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार जुर्माना सहित भरना होगा अन्यथा प्रश्न-पत्र प्राप्त न होने की अवस्था में विद्यालयस्वयं जिम्मेवार होगा।
16. ग्यारहवीं कक्षा के जिन विद्यार्थियों का एनरोलमेंट पूर्व में हो चुका है, उन विद्यार्थियों का विद्यालयों द्वारा पुनः रजिस्ट्रेशन भी करवाना अनिवार्य है, जिसके लिए 100/-रु0 प्रति विद्यार्थी शुल्क भी ऑनलाईन माध्यम से जमा करवाना होगा।
17. एनरोलमेंट आवेदन की अंतिम तिथि के बाद अन्य राज्यों/बोर्डों से आए नौवीं से बारहवीं के विद्यार्थियों के एनरोलमेंट करने उपरान्त मूल दस्तावेजों की सत्यापित प्रति दस्ती/पंजीकृत एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर बोर्ड कार्यालय में जमा करवानी होगी। अन्य राज्यों से आए विद्यार्थियों के एनरोलमेंट प्रोविजनल लगाए जाएंगे, जिन्हें S.L.C/T.C/ Certificate की जाँच करने उपरान्त ही स्थाई माना जाएगा। जाँच में Bogus/Fake पाए जाने पर एनरोलमेंट रद्द कर दिए जाएंगे एवं संस्था के विरुद्ध विनियम-21 (i)&(ii) के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
18. यदि किसी विद्यालय द्वारा किसी भी कारणवश एनरोलमेंट शुल्क दो या दो से अधिक बार जमा करवा दिया जाता है, तो ऐसे मामलों में विद्यालय शुल्क वापसी हेतु एनरोलमेंट आवेदन की अंतिम तिथि से 60 दिन के अन्दर-अन्दर सम्पूर्ण विवरण (Benefeciary Name, Account No., IFSC Code, Bank Branch Name) सहित प्रार्थना-पत्र ई-मेल asenr@bseh.org.in पर भेजना सुनिश्चित करें अन्यथा एनरोलमेंट शुल्क वापसी बारे बोर्ड कार्यालय द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा।



हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी Board of School Education Haryana, Bhiwani

(Established Under Haryana Board of Education Act, 1969)
(ISO 9001 : 2015 - Certified Organization)



19. सत्र 2022-23 कक्षा नौवी एवं ग्यारहवीं का परीक्षा परिणाम भी इसी वेबसाईट पर अपलोड करना अनिवार्य है अन्यथा उन्हें अगले वर्ष की 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में नहीं बैठाया जाएगा।
20. किसी भी प्रकार की तकनीकी कठिनाई के लिए हैल्पलाईन नं० 9728666953, 9992761425 या 01664-254302 पर सम्पर्क करें। इसके अतिरिक्त सहायक सचिव (एनरोलमेंट) के फोन नं. 01664-244171 से 176 Ext.110 या 164 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है एवं हैल्पलाईन ई-मेल bsehelp@gmail.com तथा asenr@bseh.org.in पर ई-मेल भेजी जा सकती हैं।

सहायक सचिव (एनरोलमेंट/सम्बद्धता)
कृते: सचिव